निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 77—बसेडी (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (नाम) 40, बैरवा बस्ती, सलेमपुर त0 सपोटरा जिला—करौली (पता)¹ [जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडे किये गये/की गई।]

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान :- धौलपुर

तारीख :- 11 दिसम्बर, 2018

, Collar

(केशव कुमार मीना)

रिटर्निंग ऑफिसर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बसेडी 77-बसेडी(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

¹अधिसूचना स0 का0 आ0 565(अ) तारीख 4 अगस्त 1984 द्वारा अंतःस्थापित।

Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order) FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from 77-BASERI(S.C.) Assembly constituency.

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri KHILADI LAL BAIRWA (Name) 40, BAIRAVA BASTI, SALEMPUR T. SAPOTARA DISTRICT- KARAULI(Address)¹ [sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized / registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – DHOLPUR Date – 11 December, 2018

(KESHAV KUMAR MEENA)

SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, BASERI
77-BASERI (SC) ASSEMBLY CONSTITUENCY

रिटर्निंग ऑफिसर (077) बसेडी (अ.जा) विधानसभा क्षेत्र

1.Ins. by notifn. No. s.o 565(E), Dated the 4th August, 1984